-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना गिरवां पुलिस द्वारा ई-रिक्शा से बैट्री चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 04 अभियुक्तों को सूचना के 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की बैट्री बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.08.2026 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा ई-रिक्शा से बैट्री चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 04 अभियुक्तों को सूचना के 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20.08.2026 को थाना गिरवां क्षेत्र के रहने वाले योगेन्द्र द्वारा थाना गिरवां पर सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा पंचायतभवन की ई-रिक्शा कूड़ा गाडी की बैट्री चोरी कर ली गई। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दम्मापुर नहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों को कब्जे से चोरी की बैट्री बरामद हुई है।

बरामदगी-

- 02 ई-रिक्शा की बैट्री (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित कुमार पुत्र रामरतन निवासी बरईमानपुर शेरपुर थाना जनपद बांदा।
2. शनी कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी बरईमानपुर शेरपुर थाना जनपद बांदा।
3. सागर कुमार पुत्र नत्थू राम निवासी बरईमानपुर शेरपुर थाना जनपद बांदा।
4. सोहन पुत्र रतिराम निवासी बरईमानपुर शेरपुर थाना जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 274/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सिंह थाना गिरवां
2. हे0का0 गोकुलेश कुमार मिश्रा
3. कां0 गौरव यादव
4. कां0 ऋषभ यादव